"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2013—चैत्र 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 10/08/2013/वाक/पांच (10).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (4) में दी गई निर्बंधन एवं शर्तों के अध्यधीन, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01-04-2013 से 31-03-2014 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	सौर जनित ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं इसके कम्पोनेंट.	संपूर्ण कर	
2.	पेपर	संपूर्ण कर	जब इसका क्रय छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन में उपयोग के लिये किया जाय.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग (दो) में वर्णित इंगाट तथा बिलेट्स.	संपूर्ण कर	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित हो.
4.	सोयाबीन	संपूर्ण कर	
5.	सोयाबीन तेल के निर्माण में प्रयुक्त प्लांट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स.	संपूर्ण कर	
6.	आयरन ओर, पिग आयरन एवं स्टील स्क्रेप	अंशत: जब इस पर कर की दर घटकर 0.5% हो जाये.	जब ऐसे माल का क्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत व्यवसायी द्वारा राज्य के बाहर से किया जाकर क्रय किये गये माल का उपयोग आयरन एवं स्टील के निर्माण में किया जाय तथा निर्मित माल का विक्रय प्रांत के अंदर अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाय.
7.	आयरन ओर पैलेट	अंशत: जब इस पर कर की दर घटकर 0.5% हो जाये.	जब ऐसे माल का क्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत व्यवसायी द्वारा आयरन एवं स्टील के निर्माण में उपयोग हेतु किया जाय तथा ऐसे निर्मित माल का विक्रय प्रांत के अंदर अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाय.
8.	स्टील ट्यूब	अंत: जब इस पर कर की दर घटकर 0.5% हो जाये.	जब ऐसे माल का निर्माण छत्तीसगढ़ मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक एफ-10/08/2013/वाक/पांच (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/08/2013/वाक/पांच (10), दिनांक 28-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 28th March 2013

NOTIFICATION

No. F-10/08/2013/CT/V (10).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, subject to restrictions & conditions specified in column (4) to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2013 to 31-03-2014 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)	Restrictions and conditions (4)
1.	Devices and equipments used in generation of solar energy.	Whole of tax	
2.	Paper	Whole of tax	When such goods are purchased by Chhattisgarh Pathya Pustak Nigam, Raipur for use in publication in books.
3.	Ingot and billet as specified in category (ii) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Whole of tax	When the goods specified in column (2) are manufactured in the State.
4.	Soyabean	Whole of tax	
5.	Plant, machinery and spare parts for use in manufacture of soyabean oil.	Whole of tax	
6.	Iron ore, pig iron & steel scrap	Partly so as to reduce the rate of tax to 0.5%	When such goods are purchased from outside the State by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use in manufacture of iron & steel and such manufactured goods are sold within the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India.
7.	Iron ore pellet	Partly so as to reduce the rate of tax to 0.5%	When such goods are purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use in manufacture of iron & steel and such manufactured goods are sold within the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India.
8.	Steel tubes	Partly so as to reduce the rate of tax to 0.5%	When such goods are manufactured by dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Additional Chief Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/08/2013/वाक/पांच (11).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक ए-5-14 97 विक-पांच (78) दिनांक 29-09-1997 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 के संबंधित कॉलम (3) की प्रविष्टि क्रमांक 8 के सामने कॉलम (5) में अंक "10" के स्थान पर अंक "5" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक एफ-10/08/2013/वाक/पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/08/2013/वाक/पांच (11) दिनांक 28-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 28th March 2013

NOTIFICATION

No. F-10/08/2013/CT/V (11). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4-A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. A-5-14-97-ST-V (78) dated 29-09-1997, with effect from the date of publication in official gazette :—

AMENDMENT

In schedule to the said notification, in column (3) of entry No. 8 of S. No. 1 against column (5) for the figure "10" the figure "5" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Additional Chief Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.